राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

शान्ति बनाम ओमप्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	413/2016	
16/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 22/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
22/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 के पिता घनश्याम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खतरा नम्बर 452/1/2 रकबा 14 बीघा अन्य दीगर आराजीयात के साथ ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है जिसका इन्द्राज भी वादी के नाम राजस्व इन्द्राज मैं जमाबन्दी मैं दर्ज है। भूमि खसरा नं. 452 पूर्व मैं घनश्याम पुत्र रामनाथ व रामेश्वर पुत्र श्योनाथ की खातेदारी में हिस्सा 1/2-1/2 दर्ज थी। उक्त भूमि का कुल रकबा 22 बीघा था जिसमें से। बीघा 7 बिस्वा बेचान द्वारा अन्य के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है शेष भूमि व अन्य भूमियो का उक्त दोनों खातेदारों ने विभाजन करा लिया जिसके अनुसार विभाजन मैं वादी को खसरा नम्बर 452 मैं 14 बीघा भूमि मिली, जिसका ख. नं. 452/1/2 कायम किया गया व प्रतिवादिया को उक्त विभाजन में 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि जिसका नम्बर 452/1/1 कायम किया जाकर मुताबिक विभाजन खाते अलग-अलग किये गये। उक्त विभाजन मैं वादी को मिली भूमिख. नं. 452/1/2 जो प्रतिवादिया नं.। को मिली भूमि ख. नं. 452/1/1 सीमा से लगती हुई है। प्रतिवादिया को विभाजन में मिली भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 से लगती हुई है जिसमें से पूर्वी सीमा के पास से विभाजन के समय वादी की खातेदारी की भूमि ख. नं. 452/1/2 मैं आने जाने हेतु 15 फीट चौड़ा रास्ता उत्तर-दक्षिण छोड़ा गया था जिसका इन्द्राज भी जमाबन्दी में दर्ज है तथा जिसका रकबा गै. मु. रास्ते के रूप मैं 12 बिस्वा दर्ज हैं। वादी की खातेदारी की भूमि मैं आने जाने का एकमात्र रास्ता ख. नं. 452/1/1 में से पूर्वी सीमा के पास होता हुआ कदीमी रिकार्डेड रास्ता हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि में आता जाता है एवं कृषि यन्त्र ट्रेक्टर आदि लाता-लेजाता है। जबकि उक्त रास्ता ख. नं. 452 में से विभाजन के बाद प्रार्थी के हिस्से की भूमि मैं आने जाने के लिये छोड़ा गया है। विभाजन के बाद वादी की भूमि में आने-जाने के लिये ख. नं. 452/1/1 में से कायम किये गये गै. मु. रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे व नक्शे में पुख्ता तौर पर नहीं किया। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा राजस्व रिकार्ड में विभाजन के अनुरूप दुरुस्ती न करने के कारण प्रतिवादिया सं. 1 की नियत में बेईमानी आ गई तथा रास्ते की भूमि को राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

भी अपनी भूमि के साथ विक्रय करने पर आमादा है तथा प्रति. स. 2 के समक्ष विक्रय पत्र प्रस्तुतकर उत्तका पंजियन कराने की चेष्टा मैं है, जिसका कि प्रतिवादी सं. 1 को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि वादी की भूमि में जाने के लिये पही एकमात्र रास्ता है। वादी को पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि ख. नं. 452/1/1 रास्ते की भूमि की दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड में करावे व रास्ते की भूमि का अलग राजस्व रिकार्ड कायम करावै तथा रास्ते की 12 बिस्वा भूमि को रास्ते की भूमि घोषित करावें। दिनांक 9.9.2005 को वादी अपनी उक्त भूमि में बोई गई गवार की फसल को बारिस होने पर संभालने गया तो प्रतिवादिया ने वादी को उसकी खातेदारी की भूमि में जाने के कदीमी रास्ते से वादी को ट्रेक्टर ले जाने से मना किया तथा आयन्दा भी उक्त रास्ते से आने-जाने से मना किया तथा रास्ते को बन्द करने व अपनी भूमि के साथ बेचने की ऐलानिया धमकी दी जिसके कारण वादी को दावा दायर कर प्रतिवादिया को उसके अवैध कृत्यों से पाबन्द करवाना आवश्यक हुआ व रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड अलग कायम कराकर रास्ते की भूमि की अलग से घोषणा कराना जरूरी हुआ। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि प्रतिवादी नं. । को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ख. नं. 452/1/1 में पूर्वी सीमा के पास स्थित गै. मु. रास्ते ते वादी को अपनी खातेदारी की भूमि ख. नं. 452/1/2 मैं आने जाने व उपयोग उपभोग मैं किसी प्रकार की बाधा व व्यवधान पैदा नहीं करें, ना उक्त 15 फीट रास्ते की भूमि को अपनी भूमि में शामिल करते हुये उसका विक्रय करें। उक्त कार्य न तो स्वयं करें, न एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमेन, रिश्तेदार, परिवारजन आदि से करावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार 2016 कैम्प-बस्सी में नियत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/06/2016 पारित करते हुये वाद का निस्तारण किया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण में कार्यवाही करते हुये प्रकरण के तथ्यों का संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शान्ति बनाम ओमप्रकाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	413/2016	

निर्णय पारित किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/06/2016 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 22/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया यगा |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर